

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:-प. 7(5)कार्मिक/क-2/2002 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 19 JUN 2018

परिपत्र

समस्त अति० मुख्य सचिव/शासन प्रमुख सचिव/शासन सचिव  
समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित)।

विषय:-नियमित विभागीय पदोन्नति समिति हेतु निर्मित विचारण सीमा में पात्रता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 23.07.2003 के द्वारा विविध सेवा नियमों में किये गये संशोधन के अनुसार नियम-2 के परन्तुक-6 के अन्तर्गत निर्धारित की गयी विचारण सीमा (Zone of Consideration) में पात्रता के सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि सम्बन्धित सेवा नियमों में किसी पद हेतु विहित शैक्षणिक योग्यता ही देखी जाकर डीपीसी हेतु विचारण सीमा (Zone of Consideration) निर्धारित की जावे।

(भास्कर ए. सावन्त)  
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (प्रथम/द्वितीय), मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।

(सुनील शर्मा)  
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भी प्रेषित है।

संयुक्त शासन सचिव